न्यायालय सहायक जिलाधीश एवम् उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

बइजलासः–श्री मनोज मीणा आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 138/2018 दायरा दिंनाक :–31.07.2018

1. राजेन्द्र कुमार
2. प्रेमकुमार

} पिसरान पृथ्वीराज जाति जाट निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राजस्थान

(वादीगण)

बनाम

1. श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री हेतराम जाति जाट निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
2. श्री शाखा प्रबन्धक, एचडीएफसी बैंक शाखा सूरतगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये श्री तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

(प्रतिवादीगण)

उपिस्थिति :–

1. श्री राकेश सारस्वत अभिभाषक (वादीगण)
2. श्री यशवन्त बिष्णु सारस्वत अभिभाषक (प्रतिवादी नं0 1)
3. प्रतिवादी नं0 2 व 3 बाद सूचना (अनुपस्थित)

::– निर्णय –:: दिंनाकः–16.01.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने इस न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88–188–209 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 स्व0 हेतराम के संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। प्रतिवादी नं0 1 वादीगण का पिता हैं। वादीगण के दादा एवं प्रतिवादी नं0 1 के पिता स्व0 श्री हेतराम के नाम चक 19 एसटीबी खाता नं0 64 प0न0 49/320 (55) कि0न0 1 ता 25/6.325 है0 नहरी मय रास्ता खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज थी। पासबुक सम्वत् 2044 की प्रतिलिपि शामिल पत्रावली है। स्व0 श्री हेतराम का देहान्त हो चुका हैं। स्व0 श्री हेतराम की पत्नी का भी देहान्त हो चुका है। स्व0 श्री हेतराम अपने जीवन में निर्वसीयत रहे। अतः उनकी मृत्यु पश्चात् उनकी खातेदारी भूमि उनके जायज 6 वारिस (तीन लड़की, तीन लड़का) में विभाजित हो गई। तीन पुत्रियो व एक लड़के ने अपना हिस्सा अपने दो भाईयो के हक में परित्याग कर दिया। अतः प्रति0 नं0 1 पृथ्वीराज उक्त 25 बीघा भूमि में से 1/2 हिस्से का हकदार हो गया। प्रतिवादी न0 1 व उसके भाई के मध्य विभाजन उपरान्त प्रतिवादी नं0 1 चक 19 एसटीबी प0न0 49/320 (55) कि0न0 13/2 ता 25/3. 119 है0 नहरी मय रास्ता भूमि का खातेदार कृषक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2072 से 75 सलग्न वादपत्र है।

प्रतिवादी नं0 1 पृथ्वीराज के धारण में 3.119 है0 भूमि भूमि पैतृक सम्पति हैं। 3.119 है0 में से वादीगण ब0हि0ब0 प्रतिवादी नं0 1 पृथ्वीराज हिन्दू उतराधिकारी अधि0 के तहत हिस्सा पाने के हकदार हैं। वादीगण सभी बालिग हैं। वाद में विचाराधीन प्रतिवादी नं0 1 पृथ्वीराज के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज 3.119 है0 में से अपने–2 हिस्से की भूमि को दावा के माध्यम से सुरक्षीत रखने के हकदार हैं। वादीगण ने जब पृथ्वीराज से अपने हिस्से की मांग की तो प्रतिवादी नं0 1 पृथ्वीराज इंकार हो गया तथा वादीगण को हिस्सा न देना पडें इसलिये वादग्रस्त भूमि में से स्वयं के नाम अंकित पैतृक भूमि को हस्तान्तरण करने पर तुला हुआ हैं। अतः दावा के माध्यम से वादीगण अपने

हिस्से की 2/3 हिस्सा यानि 2.080 है0 भूमि को हस्तान्तरण से सुरक्षीत रखने के हकदार हैं। अतः दावा दायर करने के अधिकारी हैं। वादीगण ने प्रति0 नं0 1 पृथ्वीराज को बमुकाम ग्रांम रामसरा जाखड़ान में अर्सा करीब 1 माह पहले वादग्रस्त पैतृक सम्पति 3.119 है0 भूमि को हस्तान्तरण न करने हेतु कहां तो प्रति0 नं0 1 पृथ्वीराज ने एलानियां कहां कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम दर्ज हैं । मैं किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तान्तरण करने के लिये स्वतन्त्र हूँ। मुझे किसी भी सम्पति को हस्तान्तरण से रोकने का कोई हक व अधिकार तुम्हे नही हैं। प्रति0 नं0 1 पृथ्वीराज का यही कथन वाद प्रस्तुत करने का मुख्य कारण हैं। वादाधीन भूमि पैतृक सम्पति हैं। जिसमें वादीगण जन्म से 2/3 हिस्सा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पिता के जीवनकाल में घोषित करवाने के हकदार है।

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत होने के पश्चात् वाद रिपोर्ट वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण 1 ता 3 को सम्मन बनाम प्रतिवादीगण जारी किये गये। प्रतिवादीगण नं0 1 जरिये वकील दिनाक 18.12.2018 हाजिर होकर वादपत्र के समर्थन में इकबाल दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी नं0 2 बाद सूचना हाजिर नही आने पर उनके खिलाफ दिनांक 20.02.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। जबाब स्टेट हेतु बार–बार अवसर देने पर जबाब स्टेट नही पेश करने पर दिनांक 18.06.2019 को जबाब स्टेट बंद कर दिया गया ।

जबाब दावा अनुसार विवादक बिन्दू नही आने पर तनकीयात कायम नही की गई। दिनांक 27.06.2019 को वादीपक्ष में वादी नं0 1 श्री राजेन्द्र कुमार ने वादपत्र की पुष्टि में शपथ पत्र के माध्यम से वादपत्र के कथनो की पुष्टि की। दस्तावेज पासबुक खाता संख्या 64 की नकल Exp-1, व जमाबंदी खाता नं0 39 की नकल Exp-2 संलग्न पत्रावली है। वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह नही करने तथा वकील प्रतिवादी की सहमति होने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद कर दिये गये।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण ने अपने वादपत्र को दस्तावेजी साक्ष्यो के माध्यम से पूर्णतया पुष्ट किया है। प्रतिवादीगण नं0 1 द्वारा भी वादपत्र के कथनो की अपने इकबालदावा के माध्यम से पुष्टि की है। ऐसी स्थिति में वादपत्र स्वीकार किया जाता है आदेश दिया जाता है कि चक 19 एसटीबी प0न0 49/320 (55) कि0न0 13/2 ता 25/3.119 है0 नहरी मय रास्ता खातेदारी भूमि में वादी नं0 1 राजेन्द्र कुमार व वादी नं0 2 प्रेमकुमार व प्रतिवादी नं0 1 श्री पृथ्वीराज को ब0हि0ब0 खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नं0 3 को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने हेतु लिखा जावें। रहन का नोट वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 पर ब0हि0ब0 दर्ज किया जावें। उपरोक्त निर्णय अनुसार वादीगण के हक में डिक्री जारी की जावें।

निर्णय आज दिंनाक 16.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

–:परचा डिकी:–

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मनोज मीणा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 138/2018 दायरा दिंनाक 31.07.2018

1. राजेन्द्र कुमार
2. प्रेमकुमार

पिसरान पृथ्वीराज जाति जाट निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राजस्थान

(वादीगण)

बनाम

1. श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री हेतराम जाति जाट निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
2. श्री शाखा प्रबन्धक, एचडीएफसी बैंक शाखा सूरतगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये श्री तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

(प्रतिवादीगण)

वादपत्र धारा 88–188–209 आरटीए मुकदमा नं0 138 वर्ष 2018 यह मुकदमा में पेश होने पर वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री राकेश सारस्वत एवं वकील प्रतिवादी नं0 1 श्री यशवन्त बिष्णु सारस्वत के हाजिर होने पर वाद पत्र स्वीकार कर हुक्म दिया जाता हैं व डिकी जारी की जाती हैं कि :–

चक 19 एसटीबी प0न0 49/320 (55) कि0न0 13/2 ता 25/3.119 है0 नहरी मय रास्ता खातेदारी भूमि में वादी नं0 1 राजेन्द्र कुमार व वादी नं0 2 प्रेमकुमार व प्रतिवादी नं0 1 श्री पृथ्वीराज को ब0हि0ब0 खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन का नोट वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 पर ब0हि0ब0 दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावें।

नोज.....×..... मुबलिग.....×.....बाबत.....×..... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह.....×.....फस्दो की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16.01.2020 को जारी किया गया ।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.28 17:20:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: